उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-1

संख्या:03/2025/390/ई-1/तेरह-2025-322772/2019

लखनऊ:: दिनांक::01 मार्च, 2025

<u>कार्यालय-आदेश</u>

आबकारी विभाग के निम्नलिखित उप आबकारी आयुक्त को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर (वेतनमान 78800-209200, ग्रेड पे रू.7600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) में वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही मौलिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	नाम
1	श्री सेवा लाल (ज्येष्ठता क्रमांक-14)

2. उपर्युक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल उप आबकारी आयुक्त के पद से कार्यमुक्त होकर संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें ।

3. उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी की नियमित तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगें। नियमित तैनाती होने तक वे पूर्ववत अपने कार्य का निवर्हन करते रहेंगे। इस हेतु उन्हें अतिरिक्त वेतन-भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

(दिव्य प्रकाश गिरि)

विशेष सचिव।

<u>संख्या:03/2025/390(1)/ई-1/तेरह-2025-तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।

2- आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त नव-प्रोन्नत अधिकारी की तैनाती का प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ.प्र., प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।

4- सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।

5- सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त, जनपद (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।

6- सम्बन्धित अधिकारी (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।

7- गार्ड बुक, आबकारी अनुभाग-1

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।